

<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 40/2024</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इ हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>
<p>29.5.2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी अशोक कुमार पुत्र रामा जी प्रजापत, जाति-प्रजापत, निवासी-खाराफली, आमली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला-सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म श्री रामदेव किराणा स्टोर, राजपूत वास, गणेश चौक, झाडोली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.9.2023 को फर्म श्री रामदेव किराणा स्टोर, राजपूत वास, गणेश चौक, झाडोली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता अशोक कुमार पुत्र रामा जी प्रजापत से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी का नमूना संख्या S-2199 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2593/Act/2023/2895 दिनांक 08.11.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 27.5.2024 को प्रतिवादी ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी अशोक कुमार को दिनांक 27.5.2024 को ही सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि उसने घी में कोई मिलावट नहीं की है व घी के पैकिंग डिब्बे को खोलकर घी का आमजन को विक्रय करता है एवं जिस अवस्था में घी क्रय किया था उसी अवस्था में विक्रय किया है, यह उसका प्रथम अपराध है। अतः कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।</p> <p>हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 20.9.2023 को फर्म श्री रामदेव किराणा स्टोर, राजपूत वास, गणेश चौक, झाडोली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में खाद्य पदार्थों के निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी विक्रेता अशोक कुमार पुत्र रामा जी प्रजापत से फर्म श्री रामदेव किराणा स्टोर की दुकान के अन्दर स्टील टीन में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी लगभग 10 किलोग्राम में मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य पदार्थ घी में से 1600 ग्राम खाद्य पदार्थ घी को खाद्य सुरक्षा एवं</p> <p>.....लगातार</p>	<p></p>




म.सि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307801.



<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 40/2024</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इ हुक्म कीतामिल में जारी हुए</p>
	<p>मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में कीमतन क्रय किया एवं खरीदशुदा खाद्य पदार्थ घी को हिला मिलाकर एकरूप कर चार साफ, सूखी, खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं चारों शीशीयों को ढक्कनों से एयरटाइट बन्द कर विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल आदि तैयार कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता अशोक कुमार व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा इन लेबलों को चारों नमूना शीशीयों पर नियमानुसार चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने चारों नमूना शीशीयों को कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपड़ी किया। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ घी की चारों नमूना शीशीयों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता अशोक कुमार व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपड़ी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपड़ी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 22.9.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री सिद्धार्थ, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म श्री रामदेव किराणा स्टोर, राजपूत वास, गणेश चौक, झाडोली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही में प्रतिवादी विक्रेता अशोक कुमार पुत्र रामा जी प्रजापत से खाद्य पदार्थ घी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये घी के नमूना संख्या S-2199 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से</p> <p>.....लगातार</p>	




 भा. जसा बबिलु
 सिरौही-307801

<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 40/2024</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इ हुक्म कीतामिल में जारी हुए</p>
	<p>प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./2593/Act/2023/2895 दिनांक 08.11.2023 में खाद्य पदार्थ घी का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने अमानक खाद्य पदार्थ घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) के विक्रय हेतु प्रतिवादी अशोक कुमार पुत्र रामा जी प्रजापत, जाति- प्रजापत, निवासी- खाराफली, आमली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्री रामदेव किराणा स्टोर, राजपूत वास, गणेश चौक, झाडोली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही पर राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी अशोक कुमार पुत्र रामा जी प्रजापत, जाति- प्रजापत, निवासी- खाराफली, आमली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्री रामदेव किराणा स्टोर, राजपूत वास, गणेश चौक, झाडोली, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 03.7..2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(डॉ. दिनेश राय सापेला) जात. जिला मजिस्ट्रेट सिरौही-387001.</p>	

